बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

अधिसूचना

सं0सं09/आ0–01–16/2017 /स्वा0/पटना,दिनांक /सिविल सर्जन, नालंदा के पत्रांक 981 दिनांक 30.03.2017 द्वारा **डा0 गिरधारी लाल, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालंदा संप्रति चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर** के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया। डा0 लाल के विरूद्ध आरोप है कि दिनांक 08.12.16 को हिलसा जेल में बंद कैदी सौरभ कुमार को उनके पास चिकित्सा हेतु लाया गया, जिसकी चिकित्सा में उनके द्वारा लापरवाही बरती गई। सौरभ कुमार पहले से चोटग्रस्त था तथा वह हिमोफिलिया रोगी था। किंतु डा0 लाल द्वारा सौरभ कुमार का सामान्य तरीके से ईलाज किया गया और कैदी की गहरी हो चुकी बीमारी/रूग्णता को नजरअंदाज किया गया और कैदी को वापस भेज दिया गया। इस कारण बाद में कैदी सौरभ कुमार के मृत्यु हो गई। विभागीय संकल्प सं0 1158(9) दिनांक 17.11.17 द्वारा डा0 लाल के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

2. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम में आरोप प्रमाणित नहीं होने का मंतव्य दिया गया किंतु विभागीय कार्यवाही के अधिगम से असहमत होते हुए विभागीय पत्रांक 622(9) दिनांक 12.6.18 एवं 1285(9) दिनांक 3.12.2018 द्वारा असहमति के निम्न बिन्दुओं पर डा0 लाल से द्वितीय कारणपृच्छा की गई:–

(i) चिकित्सक होने के नाते आपको रोगी का समुचित जॉच करनी थी।

(ii) रोगी हिमोफिलिया से पीड़ित था। इतने संवेदनशील बीमारी का पता नहीं चला यह आपकी कर्तव्य के प्रति लापरवाही का द्योतक है।

(iii) जिला स्तर पर गठित जॉच समिति के द्वारा यह टिप्पणी की गई कि आपके द्वारा सामान्य तरीके से ईलाज किया गया और कैदी की गहरी हो चुकी बीमारी/रूग्णता को नहीं समझा गया।

3. द्वितीय कारणपृच्छा के प्रत्युत्तर में डा0 लाल ने उल्लेख किया कि कैदी सौरभ कुमार आकस्मिक रोगी के रूप में आए थे, उनके पास पूर्व ईलाज (हिमोफिलिया बीमारी) का कोई रिकार्ड नहीं था। परीक्षण के क्रम में केवल उल्टी की शिकायत की गई तथा जॉच के क्रम में किसी अन्य बीमारी का लक्षण भी नहीं मिला। शिकायत के अनुसार इनका ईलाज किया गया।

4. डा0 लाल के विरूद्ध आरोप एवं उनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारणपृच्छा के प्रत्युत्तर पर निदेशक प्रमुख ने अपना यह मंतव्य दिया कि हिमोफिलिया के रोगी को जब तक रोग का complication पैदा नहीं हो तबतक बाहर से शुरू में नहीं पता लगाया जा सकता है कि वह किसी रोग से ग्रसित है या नहीं। पुलिस का कर्तव्य था कि चिकित्सक को रोगी के हिमोफिलिया रोगी होने के जानकारी दी जाती। इस प्रकार प्रथम द्रष्ट्या सौरभ कुमार की मृत्यु के कारण उसको पिटा जाना तथा उसकी मॉ का बिमारी के विषय में बतलाए जाने के बावजूद पुलिस द्वारा चिकित्सक को नहीं बतलाया जाना है।

संपूर्ण मामले की सम्यक समीक्षोपरांत सक्षम प्राधिकार के अनुमोदन से डा0 गिरधारी लाल, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मुजफ्फरपुर को आरोप मुक्त किया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(विवेकानन्द ठाकुर)
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः 6776(9) **/स्वा0, पटना , दिनांकः** 25/6/2019

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, (ले0 एं0 ह0) बिहार पटना/ उप सचिव, वित्त(वै0दा0नि0को0) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें पटना प्रमंडल पटना/तिरहुत प्रमंडल मुजफ्फरपुर/ सिविल सर्जन नालंदा/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला पदाधिकारी, नालंदा/मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– डा0 गिरधारी लाल, चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, हिलसा, नालंदा संप्रति चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री (स्वा0) के आप्त सचिव/प्रधान सचिव स्वा0 के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाऐं बिहार पटना/ प्रशाखा पदाधिकारी 2,3,5,7,8,10,17 एवं 18ए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0 टी0 मैनेजर, स्वा0 विभाग को विभागीय वेबसाइट में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

24/06/19.
सरकार के अवर सचिव